

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

विपक्षी राधा सन \_\_\_\_\_  
 पत्रावली संख्या 205/15

कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

22/1/21 पत्रावली पेरा इडी भविष्य  
 उक्त पत्रावली ज. मा. वी. डी.  
 म. व. डी. ए. म. व. डी. ए. म. व. डी. ए.  
 पत्रावली दिनांक 5/1/21 को संशोधित

5/1/21 पत्रावली पेरा इडी  
 म. व. डी. ए. म. व. डी. ए. म. व. डी. ए.  
 म. व. डी. ए. म. व. डी. ए. म. व. डी. ए.  
 दिनांक 24/1/21 को संशोधित

24/1/21 पत्रावली पेरा इडी  
 म. व. डी. ए. म. व. डी. ए. म. व. डी. ए.  
 म. व. डी. ए. म. व. डी. ए. म. व. डी. ए.  
 दिनांक 24/1/21 को संशोधित

24/1/21 पत्रावली पेरा इडी  
 म. व. डी. ए. म. व. डी. ए. म. व. डी. ए.  
 दिनांक 28/1/21 को संशोधित

SDO मावली



28/4/21

पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बार एसोसिएशन द्वारा अति आवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 16/6/21 को पेश हो।

16/6/21

पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बार एसोसिएशन द्वारा अति आवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 8/9/21 को पेश हो।

8/9/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 18/11/21 को पेश हो।

02/11/21

पत्रावली तलब की गई। 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021' आयोजित किया जाने से पत्रावली में अभियान प्रशासन को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प-..मानसोल दिनांक 12/11/21 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) मावली

शुद्धा 12/11/21

पत्रावली-प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प मानसोल में पेश हुई। प्रतिवादी सं. 1 स्वयं उपस्थित होकर वादीयों के फी बार्ड की मूल्य होना बताकर मूल्य प्रमाणपत्र की प्रति पेश की। फी बार्ड की मूल्य दिनांक 28/08/2019 को ही चुकी है। फी बार्ड के निकटतम वारिस प्रतिवादीगण ही होना बताया है। अधिवक्ता वादीयों द्वारा लगभग 4 वर्ष होने के बावजूद भी वारिस कायमी नहीं कराई गई है। अतः प्रकरण में वारिस कायमी नहीं कराये जाने से वादीयों का वाद अवेट किया जाकर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल कुमार होकर नम्बर से निर्णय सुनाया गया।

